

27.07.2022

वाद पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। कोई स्थगन भी नहीं दिया गया। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि विगत कई तिथियों से कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं आ रहा है। अतः उभयपक्ष की अनुपस्थिति में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रस्तुत मूलवाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी0 डि0),
बरेली।